1.परिचय

1.1 परिचयः महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार की एक अनुशंगी संस्था है, जो निबंधन ''दी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत निबंधित है। यह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सरकार की एक नोड्ल संस्था है।

1.2 मुख्यमंत्री नारीशक्ति योजनाः राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2007 में एक समेकित नारी शक्ति योजना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसे मुख्यमंत्री नारीशक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना सतप्रतिशत राज्य सरकार की निधि से संचालित है।

1.3 रक्षा गृह :– वैसी महिलाये एवं किशोरियों जो Immoral Traffic Prevention Act., 1986 and Protection of Women against Domestic Voilence Act., 2005 के अधीन उत्पीड़ित है, उसके देखभाल, सुरक्षा एवं पुनर्वासन हेतु पटना जिला में एक पूर्णतः आवासित 'रक्षा गृह' का संचालन किया जाना है। यह गृह पटना जिला में 50 बिस्तर वाले क्षमता को होगा। रक्षा गृह की स्थापना एवं संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

2.0 अर्हत्तायें: प्रस्ताव (Request For Proposal) **देने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं की निम्नांकित अर्हत्तायें होगीः–**

क्र0 सं0	मानदंड	आवश्यक दस्तावेज (स्व हस्ताक्षरित–फोटोकॉपी)	चयन के लिए आवश्यक
2.1	स्वयं सेवी संस्था को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, अथवा दी सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन 2016 या उससे पहले होना चाहिए।	संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं उप–विधियां	आवश्यक
2.2	चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर 03 वर्षों से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों से संबंधित आवासीय गृहों / योजनाओं /महिला केन्द्रित नियमों या अधिनियमों के संचालन/कार्यानुभाव अनिवार्य है।	सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थाओं का कार्यादेश / एकरारनामा और कार्य पूर्णता का प्रमाण –पत्र	आवश्यक
2.3	महिला संबंधित विषयों यथा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव पणन (मानव व्यापार), दहेज इत्यादि से उतपीड़ित महिलाओा को आश्रय देने का/ पुनर्वासित करने से संबंधित कार्यों का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।	कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र (मूल प्रति) का शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि मे होनी चाहिए।	आवश्यक

2.4	गैर–सरकारी संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो तथा चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर विगत तीन वर्षों का औसत आवर्त्त (Turn Over) न्यूनत्तम 50 लाख रूपया अवश्य होना चाहिए।	तीन वर्ष का अंकेक्षित आय–व्यय प्रतिवेदन, बैलेंस सीट/ प्राप्ति – भुगतान पत्रक	आवश्यक
2.5	गैर–सरकारी संस्था किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं की गई हो तथा संस्था या उसके किसी सदस्य के उपर न्यायालय द्वारा कोई मुकदमा होना चाहिए और ना ही उन पर कोई आरोप सिद्ध हुआ हो।	कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र (मूल प्रति) का शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि मे होनी चाहिए।	आवश्यक ।
2.6	निगम अथवा किसी भी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा संचालित किसी भी परियोजना/कार्यक्रम से कार्यानुबंध अवधि के समापन के पूर्व ही कार्य मुक्त की गई संस्था आवेदन के पात्र नहीं होगी।	कार्यमुक्त नहीं किये जाने संबंधी आशय का कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र (मूल प्रति) विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि मे होनी चाहिए।	आवश्यक ।
2.7	संस्था द्वारा आयकर अधिनियम 12ए के तहत निबंधित हो तथा चालू वित्त वर्ष को छोड़कर विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल किया गया हो।	पैन कार्ड एवं आय कर रिटर्न रसीद और 12 ए प्रमाण–पत्र	आवश्यक
2.8	संस्था नीति आयोग द्वारा संस्थापित NGO Darpan Portal तथा भारत सरकार के PMFS Portal as NGOs type Agency के रूप में अनिवार्य रूप से निबंधित हो	निबंधन संबंधी परिपत्र की स्वप्रमाणित प्रति	आवश्यक
2.8	रक्षा गृह के संचालन के लिए संस्था के पास अपना भवन परिसर या पट्टा या किराया का परिसर हो जो जिला मुख्यालय अवस्थित होना चाहिए।	संस्था के पास अपना भवन परिसर या पट्टा या किराया का परिसर से संबंधित मूल दस्तावेज का मूल शपथ पत्र`	आवश्यक

नोटः– 1. स्वयंसेवी संस्था के चयन में स्थानीय योग्य संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. अर्हत्ता संबंधी सभी दस्तावेज स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए।

3.0 शुल्क

3.1 प्रस्ताव (Request For Proposal) के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

4.0 प्रस्तावक संस्था का विवरण

4.1 संस्था की पृष्ठभूमि एवं परिचय संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी।
4.2 प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर संस्था का दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली संबंधी दस्तावेज।

4.3 प्रस्ताव हेतु आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक "क" का उपयोग करे।

5.0 मूल्यांकन

5.1 प्रथम चरण (तकनीकी समीक्षा)– मार्गदर्शिका /विज्ञापन में वर्णित अर्हत्ताओं के आलोक में स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा समर्पित प्रस्तावों (Request For Proposal) की जाँच निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। वर्णित अर्हत्ताओं को पूर्ण करने वाली संस्था का चयन द्वितीय चरण हेतु किया जायेगा।

5.2 द्वितीय चरण (अंक निर्धारण)–संस्था के चयन हेतु अंक निर्धारित किये गये हैं। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रूप से किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

क्रमांक	आधार	कुल अंक (अधिकतम)
1	प्रस्तुतीकरण (Powerpoint)	15
2	कार्यानुभव	20
3	साक्षात्कार	15
	कुल अंक	50

5.3 कार्य प्रणाली और नवाचार संबंधी प्रस्तुति के आधार पर चयन समिति द्वारा उपर्युक्त तालिका के अनुसार अधिकत्तम अंक प्रदान किए जायेंगे।

5.4 स्थान की उपलब्धताः ऐसी संस्था जिसके पास अपना परिसर या पट्टा या किराया का परिसर हो, उसके आधार पर मूल्यांकन निम्न विधि से किया जायेगा। पटना जिला में रक्षा गृह का भवन 50 महिलाओं की आवासन क्षमता हेतु | परिसर क्षमता के अनुरूप शयनाशाला, रसोई घर तथा शौचालय एवं स्नानागार होना चाहिए। मकान में बिजली, पानी आदि बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध एवं भवन संवासिनों के रख–रखाव के नजरिये से सुरक्षित होना चाहिए। भवन जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में अवस्थित होना आवश्यक होगा।

अर्हता मूल्यांकन में भवन से संबंधित मापदंड निम्नवत है :–

क्रम संख्या	भवन परिसर की प्रकृति	जमा किए जाने वाले दस्तावेज	अंक
5.4.1	संस्था के नाम में भवन और उसका परिसर संस्था के नाम से हो या पट्टे पर हो।	1. मूल दस्तावेज या पट्टे की छाया प्रति जमा करना होगा 2. भवन और उसके परिसर का रंगीन फोटोग्राफ जमा करना होगा	15
5.4.2	यदि भवन परिसर संस्था के सचिव अथवा कार्यकारिणी के किसी सदस्य के नाम से हो।	1. उप–विधि की छाया प्रति जमा करना होगा, 2. निबंधन का प्रमाण पत्र जमा करना होगा, 3. नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र जिसमें पट्टा अथवा किराया संबंधी एकरारनामा का उल्लेख हो, जमा करना होगा– मूल शपथ पत्र	10
5.4.3	संस्था किराया अथवा पट्टे पर भवन लेने हेतु सक्षम हो।	1. किराया अथवा पट्टे पर लिए जाने वाले भवन मालिक और संस्था के बीच हुए एकरारनामा (किरायानामा) का नोटरी पब्लिक द्वारा जारी मूल शपथ पत्र 2. किराया से संबंधित 'आयकर अधिनियम की धारा 184I का अनुपालन अनिवार्य है।	6

6.0 प्रस्ताव जमा करने वाली सस्थाओं हेतु अन्य जानकारीः–

6.1 प्रस्तावदाता संस्थाओं को अल्पावास गृह संचालन हेतु निम्न दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध करानी होगी। श्रमबल संस्था के कर्मी होगें तथा इनपर संस्था का मानवसंसाधन संबंधी श्रम एवं अन्य संबंधित नियमावली लागू होगी। अल्पावास गृह के लिये संस्था द्वारा नियोजित कर्मी न इस निगम के कर्मी होगें ना ही भविष्य में निगम में नियोजन के लिये दावेदार होंगे। कर्मियों का चयन की अर्हता योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुरूप होना अनिवार्य है। मार्गदर्शिका का अवलोकन निगम के वेबसाईट http://www.wdc.bih.nic.in पर किया जा सकता है।

गृह के कर्मचारियों के योग्यता अनुभव एवं कार्य दायित्व संबंधित विस्तृत विनिर्देशः–

क्र.	पदनाम	योग्यता एवं अनुभव	कार्य दायित्व	संख्या
1.	Resident Superintendent	MBA/MSW/MA in Social Science with 2 years of experience in social Sector	• Overaa Management of Home. • Liaison & Co-ordination with the relevant departments & service providers for specialized care. • Monitoring and supervision of Home. • Act upon the direction from the "WCDC"	01
2.	Probation Officer	Gaduate in Social Work/Social Science/ with 1 years of relevant experience.	• To care awareness among inmates about Home facilities . • To identify, Maintain database , mobilize & rescue the victims • To complete all the legal formalities during rescue. • To aware & help residential inmates to get entitlement of govt welfare scheme. • To bring the emergency/referred case at concern hospitals. • To get information of belonging place of inmates and tag them with their	01
3.	Staff Nurse (Part Time)	As per the state govt. Norms with at least 2 years of relevant experience.	• To attend & handel the emergency situation. • To provide necessary follow up for medical service. • To ensure timely administration of drugs to the inmates as proscribed by	01
4	Vocational Training Instructor	Minimum ontermediate with Certificate/ Diploma course in vocational courses and minimum 01 years relevant experience.	• To assess the need of inmates and viability of trade. • To ensure vocational training of inmates at Protection Home. • To provide necessary follow up and coordination for training.	01
5.	Counsellor	Graduate in Psychology with 2 years relevant experience.	• Psycho Social Evaluation of all the inmates. • To consult the inmates individually on daily basis and communicate with psychiatrist. • To prepare an individual case history.	01
6	Security Guard	Having at least one year prior experience	• To ensure safeguards to the properties of the home. • To remain prompt & attentive towards the assigned responsibilities.	03
7	Cook/Asst. Cook	Having at least two year prior experiences	• Adapt in preparing hygienic meal for at least 50 persons three times a day as per prescribed menu	01

8	Sweeper	Able body person	• Cleaning all the home campus two time in day. • Adaprt in housekeeping. •	01
9	Trainer (Part Time)	Graduate in any discipline with 2 years relevant experience	• To train the inmates about the life skill education. • Ensure training about ITPA, 1956 and sensitization about basic education.	01
10	Genral Physician (Part Time)	MBBS with one year experience	• Routine Clinical Check up of all the Beggars and recommendation of relevant investigation . • Provide emergency and need base services. • Regular follow up check up of all the cases.	01

ख) अर्हता से संबधित नये मापदंड इस मार्गदर्शिका के आलोक में भविष्य में होने वाले नियुक्तियों पर ही लागू होंगे।

ग) कार्यानुभवः– संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता प्राप्त करने के उपरांत (Post Qualification) किये गये कार्य का अनुभव मान्य होगा।

7.0 प्रस्ताव स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार

निगम को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा प्रस्ताव प्रक्रिया को पूर्णतया रदद करने और सभी प्रस्तावों को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

8.0 प्रस्ताव खोलना :–

निगम द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर प्रस्ताव जमा करने वालों अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति में सभी प्रस्ताव खोले जायेगें।प्रस्ताव समर्पित करने वाले/अधिकृत प्रतिनिधि एक पंजी में उपस्थिति के साक्ष्य हेतु हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेगें। यदि प्रस्ताव समर्पित करने के लिए निर्धारित तिथि बिहार सरकार द्वारा सरकारी अवकाश के रूप में घोषित की जाती है तो प्रस्ताव नियत तिथि एवं समय पर अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

9.0 धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार :–

निगम द्वारा प्रस्तावदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रस्ताव जमा (Request For Proposal)करने वाले अनुबंध के कार्यान्वयन तथा प्रदर्शन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना सुनिश्चित करें।

9.1 धोखाघड़ी का अभ्यास :–

भ्रष्ट आचरण से अर्थ है कि निगम अथवा निगम के किसी भी अन्य पदाधिकारी/कर्मी को कार्य करने में अथवा कार्य को प्रभावित करने या अनुबंध निष्पादन में प्रस्तावदाता द्वारा किसी मूल्य की पेशकश, देने अथवा उसकी मांग करना। साथ ही गलत ब्यौरा/साक्ष्य देना।

10.0 संशोधन :–

प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व किसी भी समय निगम द्वारा किसी भी कारण से प्रस्ताव के आमंत्रण को परिमार्जित कर सकते है। सम्भावित प्रस्तावक को, जिन्होने प्रस्ताव के आमंत्रण को प्राप्त किया है, को संशोधन से ई–मेल/वेबसाइट के माध्यम से अवगत कराया जायेगा और ये संशोधन सभी प्रस्तावदाता जो विज्ञापन के विरूद्ध प्रस्ताव समर्पित कर चुके है अथवा करने वाले है।

11.0 स्पष्टीकरण :–

प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान निगम को यह प्राधिकार है कि वह प्रस्तावक संस्था से उनके प्रस्ताव पर कभी भी स्पष्टीकरण पूछ सकें।

12.0 प्रस्ताव का प्रमाणीकरण :–

प्रस्ताव दस्तावेज स्वच्छ एवं मुद्रित तथा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो संस्था के प्रधिकार द्वारा प्रस्ताव करने हेतु अधिकृत होगें। यदि संस्था प्राधिकार स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्रस्ताव समर्पित नहीं कर किसी अधिकृत प्रतिनिधि को निदेशित करते है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिये Power of Attorney प्राधिकृत पत्र के रूप में संलग्न होगा। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज के सभी पृष्टों पर, जहॉ संशोधन हुए हैं, सहित हस्ताक्षर एवं मोहर किया जायेगा।

13.0 बजट :–

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा राज्य के पटना जिला में **रक्षा गृह**(50 बिस्तर की क्षमता का) हेतु कुल रू0 3719983/–बजट अनुमोदित है। समय समय पर योजना के बजट में संशोधन सम्भावित है।

14.0 **मार्गदर्शिका/नियमावली :– रक्षा गृह** का संचालन स्वीकृत मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना है। इसके इतर गृह के संचालन होने की स्थिति में संस्था प्रधान उत्तरदायी होगें।

15.0 प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु पताः

15.1 संस्थाओं का प्रस्ताव (Request For Proposal) केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सील बंद लिफाफे में दिनांक 04.02.2022 को संध्या 5.00 बजे .तक निगम कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में **Proposal for running Raksha Grih** लिखा होना चाहिये। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

परियोजना निदेशक

अनुलग्नक–क

रक्षा गृह का प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र

आवेदक संस्था का नाम	
आवेदक संस्था का पता	
आवेदक संस्था के अधिकृत पदाधिकारी का नाम	
दूरभाष संख्या	
ई–मेल	
वेबसाईट	

क्र0 सं0	अहर्त्ता	नीचे दिये गये विवरण को भरें	दस्तावेज संलग्न करें	पृष्ठ संख्या (पृष्ठों एवं दस्तावेज के क्रम के अनुसार)
1	आवेदक संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम,1882 के तहत निबंधित होनी चाहिये	निबंधन संख्या.................................... ..	निबंधित प्रमाण पत्र	पृष्ठ संख्या ....
2	चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर 03 वर्षों से अधिक महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित आवासीय गृहों / योजनाओं /महिला केन्द्रित नियमों या अधिनियमों के संचालन/ कार्यानुभाव अनिवार्य है।	**नीचे बॉक्स के विवरण उल्लेख करें** कार्य की विवरणी | वित्त पोषक संस्था | कुल कार्य अवधि	कार्य आदेश/अनुबंध समझौते/कार्य किये जाने से संबंधित घोषणा शपथ पत्र की मूल प्रति।	पृष्ठ संख्या ....
3	पिछले तीन वर्षो की व्यय विवरणी (वित्तीय वर्ष) जिसमें संस्था का प्रति वर्ष औसत कारोबार 10 लाख होनी चाहिए।	**अंकेक्षित बैलेंस शीट एवं आय व्यय विवरणी** वर्ष........ | वर्ष........ | वर्ष........ ....Rs | ....Rs | ....Rs	अंकेक्षित बैलेंस सीट प्राप्ति भुगतान खाता	पृष्ठ संख्या ....
4	पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) का आयकर रिर्टन विवरणी	वित्तीय वर्ष.........., ... एवं...........	पैन कार्ड एवं आय कर रिर्टन रसीद	पृष्ठ संख्या

		____________ (Y/N)	_________ (Y/N)	_______ (Y/N)		....
5	न्यायालय संस्था को न्यायालय / सरकार / विभाग द्वारा बेदखल / ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, का शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि में होनी चाहिए।	**एफिडेविट की मूल प्रति---------------(Y/N)**			नोटरी द्वारा शपथ पत्र (मूल प्रति)	पृष्ठ संख्या ....
6	संस्था नीति आयोग द्वारा संस्थापित NGO Darpan Portal तथा भारत सरकार के PMFS Portal as NGOs type Agency के रूप में अनिवार्य रूप से निबंधित हा	निबंधन संबंधी परिपत्र की छाया प्रति			स्वप्रमाणित प्रति	पृष्ठ संख्या ....

नोट– बुनियादी पात्रता मानदंड के संदर्भ में यह पेज प्रस्ताव का प्रथम पृष्ठ होगा।

आवेदक संस्था का हस्ताक्षर एवं मोहर